ायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:– 137/2020

निर्णय दिनांक :–04.08.2020

उनवानी प्रार्थना पत्र :

भोज्या पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक राज0

– प्रार्थीगण –

बनाम

1. कमला पुत्री बैदराम पत्नी सत्यनारायण जाति मीणा उम्र बालिग निवासी केसरपुरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा राज0
2. कैलाशी पुत्री बैदराम पत्नि मानसिंह जाति मीना उम्र बालिग निवासी राजकोट तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. सुशीला पुत्री बैदराम पत्नि बद्रीलाल जाति मीना उम्र बालिग निवासी मनोहरगढ़ तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा राज0
4. सोहनी पत्नि बैदराम जाति मीना उम्र बालिग निवासी केसरपुरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा राज0
5. इन्द्रराज पुत्र दैवी जाति मीना उम्र बालिग निवासी सांवतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. कालीदेवी पत्नि दैवी जाति मीना उम्र बालिग निवासी सांवतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. सुनिता पुत्री दैवी जाति मीना उम्र बालिग निवासी सांवतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
8. भोपाल पुत्र दैवी जाति मीना उम्र बालिग निवासी सांवतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
9. रामराज पुत्र दैवी जाति मीना उम्र बालिग निवासी सांवतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
10. नाहरसिंह पुत्र जगन्नाथ जाति मीना उम्र बालिग निवासी सांवतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
11. लाला पुत्र जगन्नाथ जाति मीना उम्र बालिग निवासी सांवतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
12. अनोखी पुत्री जगन्नाथ पत्नि जमनालाल जाति मीना उम्र बालिग हाल निवासी लुहारीकलां तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा राज0

10.8.20

13. उप पंजीयक महोदय, देवली जिला टोंक
14. तहसीलदार महोदय, देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0

— प्रतिपक्षीगण —

उपस्थिति :—
श्री शिवजीराम डिडवानिया
अधिवक्ता प्रार्थी

श्री प्रकाश चन्द जैन
अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं प्रतिपक्षीगण संख्या 1 ता 12 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे की आराजीयात खाता संख्या 342 खसरा नंबर 1068 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 1069 रकबा 0.66 है0, खसरा नम्बर 1214 रकबा 0.40 है0, खसरा नम्बर 1420 रकबा 0.68 है0, खसरा नम्बर 1431 रकबा 0.67 है0, खसरा नम्बर 357 रकबा 1. 40 है0, खसरा नम्बर 650 रकबा 0.55 है0, खसरा नम्बर 758 रकबा 1.29 है0, खसरा नम्बर 766 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 767 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 768 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 769 रकबा नम्बर 0.17 है0, कुल किता—12, कुल रकबा 6.76 है0 वाके ग्राम सांवतगढ़ पटवार हल्का सांवतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थी का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिपक्षीगण संख्या 1 ता 4 का प्रत्येक का 1/24 हिस्सा, प्रतिपक्षीगण 5 ता 9 का प्रत्येक का 1/30 हिस्सा एवं प्रतिपक्षीगण 10 ता 12 का प्रत्येक का 1/6 हिस्सा है इस प्रकार उपरोक्त हिस्से अनुसार ही प्रार्थी एवं प्रतिपक्षीगण संख्या 1 ता 12 अपने अपने हिस्से की भूमि को काश्त कर रहें है तथा मोके पर काबिज है। उक्त वर्णित आराजीयात का राजस्व रिकार्ड मे विधिवत रूप से तकासमा नही रखा है जिसके कारण उक्त आराजीयात के लगान अदा करने को लेकर एवं उक्त आराजीयात की सीमा को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है। प्रार्थी ने प्रतिपक्षीगण संख्या 1 ता 12 को उक्त आराजीयात का हिस्से अनुसार सहमति से तकासमा करने के लिये निवेदन किया जिससे उक्त आराजीयात बाबत किसी प्रकार का विवाद ना हो परन्तु प्रतिपक्षीगण ने सहमति से तकासमा करने से मना कर दिया परन्तु जमीन बेचने की धमकी दी। प्रतिपक्षीगण

01.20

ता 4 उक्त आराजीयात का बिना विधिवत रूप से बंटवारा हुये जमीन बेचने पर आमादा है जिसके लिये प्रतिपक्षीगण ने खरीददारो से बातचीत चालू कर दी है तथा प्रार्थी ने प्रतिपक्षीगण को बिना बंटवारा बेचान करने के लिये मना किया तो उन्होने कहा कि हम तो जमीन बेचेगे इसलिये प्रतिपक्षीगण संख्या 1 ता 4 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह स्वयं जरिये एजेंट, नोकर, चाकर एवं अन्य पारिवारिक सदस्यों के प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का बिना विधिक बंटवारा कराये उक्त आराजीयात को अन्य किसी के बेचान, रहन, दान या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण नही करे तथा प्रतिपक्षीगण 5 ता 12 को भी पाबंद किया जावे कि वे स्वयं जरिये एजेंट, नोकर, चाकर व अन्य पारिवारिक सदस्यों के प्रार्थी के हिस्से की हद तक वादी के कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग एवं फसल बोने, काटने, लाने ले जाने मे किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा प्रतिपक्षी संख्या 13 को भी पाबंद किया जावे कि वे उक्त आराजीयात बाबत किसी भी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत हो तो उसका पंजीयन नहीं करें।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की ओर से श्री प्रकाश चन्द जैन अधिवक्ता ने वकालतनामा व जवाब पेश पेश किया जिसके अनुसार प्रार्थना पत्र के चरण नं. 2 व 3 को स्वीकार किया गया। चरण नं. 4 व 5 जिस तरह से वर्णित कया गया है पूर्णतया गलत है, स्वीकार नहीं है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थी एवं अन्य खातेदारान ने अप्रार्थी गण 1 ता 4 को कभी भी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात के बारे में विभाजन या तकासमा के लिये नहीं कहा एवं मौके पर तो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्तकार है एवं अप्रार्थीगण 1 ता 4 के पिता व पति का पूर्व में स्वर्गवास हो चुका है एवं अप्रार्थीगण 1 ता 3 अपने आने ससुराल में निवास कर रही है तथा अप्रार्थी संख्या 4 श्रीमति सोहनी देवी भी वर्तमान में ग्राम सांवतगढ रह रह रही है लेकिन काफी वृद्ध होने के कारण उक्त आरजीयात की देखभाल अप्रार्थीगण 1 ता 3 ही करती आ रही है। वास्तविकता यह है राज0 टिनेन्सी एक्ट के नियमानुसार रेवेन्यू रिकॉर्ड में खातेदारी के आधार पर स्वयं की भूमि को कोई भी खातेदार किसी को भी रहन, दान, बेचान कर सकता है। इसमें प्रार्थी एवं अन्य अप्रार्थीगण को कोई आपति नहीं होने चाहिये क्योंकि खातेदारी अपने हिस्से की भूमि का ही विक्रय का पंजीयन करने में पूर्णतया स्वतन्त्र है एवं अप्राथीगण 1 ता 4 ने उक्त आराजीयात को मानसिंह पुत्र रामनारायण जाति मीणा निवासी

राजकोट को जरिये रजि. विक्रय पत्र विक्रय कर दी एवं विक्रय का पंजीयन भी सब रजिस्टार देवली के यहां दिनांक 17.07.2020 को कर दिया । अप्रार्थीगण 1 ता 4 उक्त पंजीयन की रजिस्ट्री लेने सब रजिस्टार के कार्यालय में गये तब उन्हे पता चला कि प्रार्थी ने उक्त भूमि के बारे में श्रीमान के न्यायालय द्वारा रेवेन्यू रिकार्ड की यथास्थिति का स्टे ले रखा है जिसकी जानकारी अप्रार्थीगण 1 ता 4 को नहीं है। अप्रार्थीगण 1 ता 4 से वादी को किसी प्रकार की कोई अपूर्णनीय क्षति नहीं रहेगी क्योंकि उक्त आराजीयात में अन्य कोई खातेदार बनता है उससे भी विभाजन कराने के लिए स्वतन्त्र है तथा खातेदारी के विरूद्ध किसी भी प्रकार से प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी नहीं है। विशेष विवरण में बताया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड मे खातेदार को अपने हिस्से की भूमि को रहन, दान, बेचान या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण का पूर्ण अधिकार प्राप्त है इसलिये प्रार्थी किसी भी प्रकार से अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस हेतु प्रार्थना की, जिस पर अधिवक्ता वादी ने सहमति दी।

अधिवक्ता उभयपक्ष से बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा ने अपने हिस्से की हद तक में कब्जेकाश्त में बाधा व मजामहत नहीं करने तथा बिना विधिवत विभाजन के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने पाबन्द करवाया है। इस बाबत वाद न्यायालय में विचाराधीन है। इस अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को क्या हानि हो सकती है। अप्रार्थीगण यदि अपने हिस्से की भूमि को बेच देंगे तो अनावश्यक झगडे होंगे। अतः न्यायालय से तकासमा होने के बाद अप्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि का बेचान कर दे। वैसे भी अभी सभी पक्षकारान की तामिल नहीं हुई है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी स्वयं इस बात को एडमिट कर रहा है कि मौके पर दोनो पक्ष अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। प्रार्थी, अप्रार्थीगण को अपने हिस्से की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द नहीं करा सकती है इस बाबत अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 ने बताया कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 41 व 42 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि सहखातेदार अपने हिस्से की भूमि को रहन, दान, बेचान कर सकता है। अप्रार्थीया संख्या 4 एक अकेली महिला है

D.विक

जो पहले ससुराल रहती थी और अब तो सांवतगढ में ही रहती है। अप्रार्थीगण को अपने हिस्से की भूमि का उपयोग–उपभोग का कानूनन अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीया द्वारा बंटवारे का वाद पेश किया है, परन्तु अप्रार्थीगण को अपने हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग के लिए पाबन्द करवाना उचित नहीं है जबकि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के हिस्से में किसी प्रकार की कोई मजामहत नहीं की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी संम्वत 2073–76 के वाद वर्णित खाता संख्या 342 के ख. नं. कुल किता 12 कुल रकबा 6.76 है0 वाके ग्राम सांवतगढ तहसील देवली में प्रार्थी का 1/6 हिस्सा है, तथा अप्रार्थीगण नं. 1 ता 4 का प्रत्येक का 1/24 हिस्सा, अप्रार्थीगण नं. 5 ता 9 का प्रत्येक का 1/30 हिस्सा एवं अप्रार्थीगण नं. 10 ता 12 का प्रत्येक का 1/6 हिस्सा है। राजस्व रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार की हैसियत रखते है। उभयपक्ष अधिवक्ता ने सहमति दी है कि दोनो पक्ष अपने अपने हिस्से में काबिज काश्त है। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 प्रार्थी के हिस्से की भूमि में उपयोग–उपभोग में मजामहत करते है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 व अन्य अप्रार्थीगण को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से मूलवाद तक पाबन्द करना उचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पूर्व में दिनांक 30.06.2020 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा प्रभाव शून्य की जाती है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

देवली